**Date:** 19 अप्रैल 2023

# ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस

**संदर्भ-** हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में सरकारी विभागों के कार्यालयों के कार्यों को डिजीटल बनाने के साथ कार्यों को आसान बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की 70 योजनाओं को मंजूरी दी।

- दिल्ली सरकारों के पास 16 विभागों में 70 सुधारों का उद्देश्य, सरकारी विभागों के कार्य करने की गति में तेजी लाना है।
- व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों के अनुपालन बोझ को कम करना तथा राजधानी में व्यवसाय को आसान बनाना।
- नागरिकों द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना।

**ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस**

विश्व बैंक द्वारा व्यापार करने में आसान प्रक्रिया के माध्यम से एक सूचकांक तैयार किया गया है। यह सूचकांक विभिन्न पैरामीटर के अनुसार देश की व्यापार करने में आसानी की स्थिति या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मापता है। विश्व बेंक द्वारा 190 देशों के लिए यह सूचकांक तैयार किया जाता है। इसके निम्नलिखित पैरामीटर के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं-

- व्यवसाय शुरु करना
- निर्माण परमिट/अनुमति के साथ काम करना
- बिजली प्राप्त करना
- संपत्ति का पंजीकरण
- क्रेडिट प्राप्त करना
- अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना
- अदा किए जाने वाले ऋण
- सीमा पार व्यापार
- प्रवर्तनीय ठेके।
- दिवालिएपन का समाधान करना

**सरकार द्वारा पैरामीटर्स में सुधार के लिए उठाए गए कदम**

**व्यवसाय शुरु करना-**

- किसी भी कारोबार को शुरु करने से पर्व उसके लिए निदेशक पहचान संख्या, पैन नम्बर, टीएएन नम्बर, बैंक खाता खोलना, ईएसआईसी के लिए आवेदन करना आदि सभी को अब एकल वेब फॉर्म में मर्ज कर दिया गया है जो कम्पनी मामलों के कंरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा।
- मुंबई और दिल्ली में प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन से पूर्व निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

**निर्माण परमिट/अनुमति के साथ काम करना-**

- दिल्ली व मुंबई नगर निगम में कार्य स्थल हेतु बिल्डिंग की जांच के लिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल सिस्टम शउरु किया गया है। दिल्ली में इसके लिए 30 दिन के भीतर डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान भी किया गया है।
- निर्माण परमिट प्राप्त करने की लागत प्रति व्यक्ति आय के 23.8% से घटकर 5.4% कर दी गई है।

**बिजली प्राप्त करना-**

- जहाँ राइट ऑफ वे की आवश्यकता है वहाँ 15 दिनों के भीतर और जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है वहां 7 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
- कनेक्शन प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों की संख्या केवल 2 कर दी गई है।

**संपत्ति का पंजीकरण**

- सभी पंजीकृत विभागों को डिजीटाइज किया गया तथा इसके रिकॉर्ड को दिल्ली व मुंबई में पंजीकृत किया जाएगा।
- यह संपत्ति संबंधी लेन देन में दक्षता व पार्दर्शिता लाएगा।

**दिवालिएपन का समाधान करना**

- एक अध्ययन के अनुसार भारत में 90% स्टार्ट अप असफल रहते हैं, ऐसे में भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 ने भारत में दिवाला समाधान में नए आयाम संबद्ध किए।
- यह भारत में कॉरपोरेट दिवालियापन का पहला कानून है।
- फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत समाधान 90 दिनों में किया जाएगा और 45 दिन की अनुग्रह अवधि दी जाएगी।

**भारत में दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 की आवश्यकता**

- आपूर्तिकर्ताओं व कर्मचारियों को समय पर भुगतान न करना। इससे कंपनी के अशोध्य ऋण बढ़ जाते हैं।
- IBM द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में 90 % स्टार्ट अप असफल रहते हैं। कोड जारी करने से पूर्व इन असफल स्टार्ट अप पर ध्यान नहीं दिया जाता था।
- ऋणग्रस्त किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों के कारण ऐसे किसानों की मदद करने की आवश्यकता।
- शहरी मध्य वर्ग में लिए गए ऋण व भविष्य में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या।
- भारत में दिवाला होना सामाजिक रूप से हीन समझा जाता है, जिसके कारण ऋण ग्राही कम हो जाते हैं।

**श्रम कानून सुधार**

- बोनस भुगतान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत बोनस के भुगतान की सीमा 10000 से बढ़ाकर 21000 रुपये प्रति माह करना।
- मजदूरी संदाय अधिनियम की न्यूनतम सीमा को 2017 से 18000 से 24000 करने का प्रावधान किया गया है।
- बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक नाबालिग का बाल श्रम करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

**ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में भारत की स्थिति**

2020 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रकाशन को बंद करने का फैसला किया था इससे पूर्व भारत की स्थिति 2014-19 तक लगातार सुधरी हुई प्रतीत होती है। भारत की स्थिति 2014 में 142वे स्थान पर थी और 2019 में इसकी स्थिति 63 में पहुँच गई थी। वर्तमान में इसका उद्देश्य कोविड के आर्थिक प्रभाव को कम करना तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करना और इसके माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना है।

**स्रोत**

THE HINDU

/www.icsi.edu/

https://pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148568

**Gunjan Joshi**

# निसार मिशन (NISAR MISSION)

**संदर्भ-** हाल ही में अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) और भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का संगठित उपग्रह मिशन **निसार** अथवा NASA- ISRO- SAR लांच किया जाएगा। द हिंदू के अनुसार यह हिमालयी घटनाओं व प्राकृतिक आपातकाल के क्षेत्र में कार्य करेगा।

**निसार-** एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) और भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा संगठित मिशन है। इसे भारत के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा 2024 में लांच किया जाएगा। निसार, पृथ्वी की सतह के परिवर्तनों को मापने वाला पहला उपग्रह होगा।

**निसार मिशन के लक्ष्य-**

- मिशन 12 दिन की समय सीमा के साथ पृथ्वी के दो निर्दिष्ट बिंदुओं के विस्थापन को मापेगा। इस भूमि के अंतर्गत पृथ्वी के क्षात ज्वालामुखी, तेजी से पिघलते हिमनद, हाइड्रोकार्बन व भूतापीय जलाशय, भूकंप, भूस्खलन आदि आपदा स्थल।
- पृथ्वी की 90% या उससे अधिक बर्फ से ढकी सतह के विस्थापन का मापन।
- आर्कटिक व अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के वेग का मापन।
- लकड़ी युक्त बायोमास के द्रव्यमान का मापन।
- मौसमी फसल भूमि व जलमग्न क्षेत्रों का मापन।
- प्रमुख प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं की प्रतिक्रिया के समर्थन में अपनी क्षमता का प्रयोग करना।

**सार SAR- SAR को सिंथेटिक एपर्चर रडार** भी कहा जाता है यह रडार प्रणाली द्वारा सटीक छवि लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। छवि रडार का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन व उसके माध्यम से ली गई छवियों को SAR में शामिल किया जाता है। सार प्रक्रिया लांग ट्रैक रिजॉल्यूशन को निर्धारित करती है।

**निसार मिशन की आवश्यकता**

पृथ्वी लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, प्रकृतिक घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए मौसम विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है किंतु कुछ घटनाएं जैसे भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप आदि की पूर्व जानकारी प्राप्त कर पाना अब तक मौसम विज्ञान के लिए कठिन समस्या बना हुआ है। इन समस्याओं के निराकरण के रूप में निसार मिशन को लांच करने के लिए भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक एक साथ कार्य कर रहे हैं।

**भारत में प्राकृतिक आपदा व आपदा प्रभावित क्षेत्र**

**भूस्खलन-** भूस्खलन किसी ढलान वाले क्षेत्र से पत्थर, जमीन व मिट्टी का खिसकना शामिल है। सामान्यतया यह तब होता है जब ढलान के भीतर गुरुत्वाकर्षण और स्पर्शरेखा तनाव, ढलान बनाने वाली सामग्री की कतरनी शक्ति (कतरनी प्रतिरोध) से अधिक हो जाते हैं। भूस्खलन के कारण विश्व समेत भारत में भी प्राकृतिक व मानव संसाधनों की क्षति हो जाती है। भारत के उत्तराखण्ड राज्य में अचानक आए भूस्खलन के साथ भूधंसाव की समस्याएं आ रही हैं।

**भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र**

| भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र | राज्य और शहर |
|---|---|
| पश्चिमी हिमालय | हिमांचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड |
| पूर्वी व उत्तर पूर्वी हिमालय | पश्चिम बंगाल, अरुणांचल प्रदेश, सिक्किम |
| नागा-अराकान पर्वत बेल्ट | त्रिपुरा, नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर |

| | |
|---|---|
| पश्चिमी घाट और नीलगिरी | केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोआ |
| मेघालय का पठार | भारत का उत्तर पूर्वी भाग |

**हिमस्खलन–** किसी ढलान वाले क्षेत्र में तेजी से हिम के भारी प्रवाह को हिमस्खलन कहा जाता है। एक बड़े पैमाने का हिमस्खलन बर्फ के टुकड़ों, पेड़ व पहाड़ी को स्थानांतरित करने की क्षमता रखती हैं। 2021 में उत्तराखण्ड में हिमस्खलन जिसने बाढ़ का रूप ले लिया में जल विद्युत परियोजना समेत कई लोगों की जान चली गई थी।

**भारत में हिमस्खलन क्षेत्र**

| **हिमस्खलन प्रभावित राज्य** | **जिला** |
|---|---|
| जम्मू कश्मीर | कुलगाम, पहलगाम,अनंतनाग और शोपिया, त्राल |
| हिमांचल प्रदेश | चम्बा, कुल्लू व किन्नौर घाटी |
| उत्तराखण्ड | उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली |

**भूकम्प–** पृथ्वी की सतह पर होने वाले आकस्मिक गति या कम्पन को भूकम्प कहते हैं। जो धीरे धीरे संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण हो सकती है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को जोन के आधार पर विभाजित किया गया है। 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हिमालय के साथ 1,252 जीपीएस स्टेशनों के डेटा के आधार पर हिमालय का एक "स्ट्रेन मैप" प्रकाशित किया। इसने उन क्षेत्रों की पहचान की जिनमें 8 से अधिक परिमाण के भूकंप उत्पन्न करने की सबसे बड़ी संभावना थी, जो एक बड़ी समस्या है।

**भारत में भूकंप में प्रभावित क्षेत्र**

| **भूकम्प जोन** | **प्रभावित राज्य** |
|---|---|
| **जोन – 5** | जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्ड, गुजरात, बिहार, अण्डमान |
| **जोन – 4** | जम्मू कश्मीर, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल, गुजरात व राजस्थान के कुछ हिस्से |
| **जोन – 3** | केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक आदि। |
| **जोन – 2** | देश के शेष हिस्से |

**स्रोत**

**The Hindu**

**https://nisar.jpl.nasa.gov/mission/mission-concept/**

**Gunjan Joshi**